1/2010

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / टीए /539/2011/ जिला नागौर

1– अमीत कुमार पुत्र श्री पारसमल शाह जाति जैन
2– मोहित कुमार पुत्र माधव प्रसाद धूत जाति महाजन
3– प्रभाती देवी पत्नि बाबूलाल जाति कुमावत
4– रतनी देवी पत्नि संजय बेरीवाल जाति महाजन
5– मालती देवी पत्नि नटवरलाल धुत जाति महाजन
समस्त नि0 नांवा तहसील नांवा जिला नागौर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

आचुकीदेवी पत्नि भेरूदत्त मिश्रा जाति ब्राहमण नि0 नांवा तहसील नांवा जिला नागौर।

.....अप्रार्थी

W/R

एकलपीठ
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थित :
श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक प्रार्थीगण ।
श्री गोविन्द शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 20-10-2011

निर्णय

1– यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार नांवा द्वारा प्रकरण संख्या 3/2010 में पारित आदेश दिनांक 31–1–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

2– निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अप्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय तहसीलदार नांवा के समक्ष प्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि कस्बा नावां में स्थित आराजी खसरा नं. 398, 399, 400, 407, 408 व 409 कुल किता 6 कुल रकबा 5.98 हैक्ट0 भूमि को अप्रार्थीया ने खातेदार गोविन्द, गोपाल पुत्रान किशन महाजन से खरीद कर कब्जाकाश्त प्राप्त किया है। अप्रार्थीया के खेत पर जाने के लिये एक रास्ता है तो पिछले 50 वर्षो से चला आ रहा है जिसे अप्रार्थीया एंव उसके परिवारजन आने–जाने के लिये उपयोग करते आ रहे है। उक्त रास्ते को प्रार्थीगण ने मिट्टी डालकर बंद कर दिया है, जिससे अप्रार्थीया को अपने खातेदारी खेत में जाने के लिये भारी परेशानी हो रही है। अतः धारा 251 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता खुलवाया जावे। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रार्थीगण अमित कुमार आदि ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सिविल प्रकिया संहिता पेश कर निवेदन किया कि विवादित रास्ते बाबत् एक सिविल वाद वास्ते आदेशात्मक व्यादेश व स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणार्थ सुखाधिकार न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क,ख) में पेश होकर विचाराधीन है। अप्रार्थीया द्वारा चाही गई दादरसी सिविल वाद में भी चाही गई है। अतः सिविलि वाद के निस्तारण होने तक अन्य न्यायालय संबंधित वाद में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकता। अतः अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राज0 काश्तकारी अधिनियम बाबत् रास्ता खुलवाने

3
20/10

सिविल वाद के निस्तारण तक स्थगित की जावे। तहसीलदार नांवा ने अपने आदेश दिनांक 31–1–2011 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में मुख्यतः इस आधार पर पेश की गई है कि अप्रार्थीया ने विवादित रास्ते बाबत् एक सिविल वाद वास्ते आदेशात्मक व्यादेश व स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणार्थ सुखाधिकार का पेश किया हुआ है। सिविल वाद में चाही गई दादरसी अन्य न्यायालय द्वारा नहीं दी जा सकती। क्योंकि दोनों प्रकरणों में विषय वस्तु, दादरसी व पक्षकारान सामान है और अप्रार्थीया का धारा 251 का प्रार्थना पत्र पश्चातवर्ती है। अतः सिविल प्रकिया संहिता की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार पश्चातवर्ती प्रार्थना पत्र को स्थगित रखा जाना चाहिये।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि तहसीलदार नावां द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–1–2011 को निरस्त किया जावे और निगरानीकर्ता के धारा 10 सिविल प्रकिया संहिता के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावे तथा सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णय तक तहसीलदार नांवा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण सं. 3/2010 में की जाने वाली कार्यवाहीं को स्थगित रखा जावे।

3– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी मेमों के तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत धारा 251 राज0 काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद के पश्चात का होने के कारण चलने योग्य नहीं है। तहसीलदार नावां द्वारा प्रार्थी के धारा 10 सिविल प्रकिया संहिता प्रार्थना पत्र को प्रावधानों के विपरीत सरसरी तौर पर निरस्त करने में अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। अतः सिविल न्यायालय में विचाराधीन संबंधित पूर्ववर्ती वाद के निर्णय तक तहसीलदार नांवा द्वारा की जा रही कार्यवाही को स्थगित करते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे।

5– जवाबी बहस में अप्रार्थिया के विद्वान अभिभाषक श्री गोविन्द शर्मा का अभिकथन है कि सिविल प्रकिया संहिता की धारा 10 केवल नियमित दावे पर लागू होती है और प्रार्थनापत्रों पर की जाने वाली संक्षिप्त कार्यवाही (summary proceedings) पर लागू नहीं होती है। यह सही है कि समस्या के स्थायी समाधान के लिये अप्रार्थिया ने सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया हुआ है जो कि विचाराधीन है किन्तु रास्ते में आ रही तात्कालिक बाधा को दूर कराने के लिये तहसीलदार के समक्ष धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने और उस पर तहसीलदार द्वारा सुनवाई पर उक्त सिविल वाद के कारण कोई वर्जना कानून में नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान श्री शर्मा ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (2) की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है साथ ही न्यायदृष्टान्त 2007 RRT (1) page 722 (HC), 2009 RRT (1) page 451 और RLR 1984 page 360 (HC) भी प्रस्तुत किये हैं।

6— उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया और प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 निम्न प्रकार है:—

"***251. Rights to way and other private easement.***- (1) In the event of any holder of land, in actual enjoyment of a right of way or other easement or right, having, without his consent, been disturbed in such enjoyment otherwise than in due course of law, Tehsildar may, on the application of the holder of land so disturbed and after making a summary inquiry into the fact of such enjoyment and disturbance, order the disturbance to be removed or stopped and the applicant-holder to be restored to such enjoyment, notwithstanding any ọthet title that may be set up before the Tehsildar against such restoration.

(2) No order passed under this section shall debar any person from establishing such right or easement as he may claim by a regular suit in a competent civil court."

इस धारा की व्याख्या करते हुये माननीय उच्च न्यायालय ने **RLR** 1984 page 360 में कल्याण एवं अन्य के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि—

"The mere fact that the controversy regarding the **rasta** in dispute is pending adjudication in two different suits, one instituted in a civil court and the other in a revenue court is no ground for holding that the Tehsildar should resfrain from exercising his powers under section 251 of the Tenancy Act. The powers conferred on the Tehsildar under section 251 of the Tenancy Act are independent and therefore be exercised by him as such regardless of the pendency of the two suits in the aforesaid courts. In fact, sub-section (2) of section 251 itself makes it clear that the two remedies i.e. the one under section 251 and the other by way of a regular suit in a competent civil court are independent of each other. The pendency of suit will not take away the independent jurisdiction of the Tehsildar under section 251 of the Tenancy Act and similarly making of an application to the Tehsildar under that section will not debar the party concerned from iling a regular suit in a competent civil court for the purpose of establishing his right in respect of **rasta.**"

तथ्यों की समानता के कारण यह न्याय दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः लागू होता है और इस न्याय दृष्टान्त की रोशनी में हम विद्वान श्री शर्मा के इस तर्क से सहमत हैं कि रास्ते के विवाद के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में वाद

विचाराधीन होने के बावजूद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की जा सकती है।

7. सिविल प्रकिया संहिता की धारा 10 नियमित वाद के अलावा प्रार्थनापत्रों के तहत की जाने वाली संक्षिप्त कार्यवाही पर लागू होती है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिये उक्त धारा का अवलोकन कर लेना समुचित है, जो कि निम्न प्रकार है:–

> "***10. Stay of suit.***- No Court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other Court in India having jurisdiction to grant the relief claimed, or in any Court beyond the limits of India established or continued by the Central Government and having like jurisdiction, or before the Supreme Court."

उक्त धारा के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि यह धारा केवल दावे पर लागू होती है, प्रार्थनापत्रों के तहत की जाने वाली संक्षिप्त कार्यवही (summary proceedings) पर नहीं। इस सम्बन्ध में हम मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा 2009 RRT (1) page 451 में दी गयी इस व्यवस्था से सहमत है कि **धारा 10 सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधान केवल वाद पर लागू होते हैं, आवेदनो पर नहीं।**

8– उपरोक्त पेरा 6 व 7 में किये गये विवेचन के आधार पर हमारा मत है कि पक्षकारान के बीच रास्ते का विवाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन होते हुये भी तहसीलदार द्वारा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई और कार्यवाही की जा सकती है। अतः तहसीलदार नावां द्वारा निगरानीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सिविल प्रकिया संहिता की धारा 10 के प्रार्थनापत्र को अस्वीकर करने में कियी प्रकार की तात्विक और विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। निगरानी के माध्यम से उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 31–01–2011 में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। हस्तगत निगरानी प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9– परिणामतः निगरानी प्रार्थनापत्र अस्वीकार करते हुये खारिज किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/10/2011

(मूलचंद मीणा)
सदस्य